संख्या–489/XV–1/1(3)/08

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, गोपेश्वर, चमोली।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 26 मार्च, 2009

विषयः– **गौ सदनों की स्थापना किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3598 दिनांक 7 मार्च, 2009 के कम में चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में आयोजनागत योजना के अर्न्तगत **रूपया 10.00 (रुपया दस लाख मात्र)** की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्न संस्थाओं को राज्य में निराश्रित गो–वंशीय पशुओं को शरण देने हेतु गो सदनों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि हजार रू० में)

क्र०सं०	संस्था का नाम	धनराशि
1	गो सेवा समिति, सुनाऊँ, पो० कुलसारी चमोली	50
2	श्री कृष्णा सामुदायिक गो–सदन स्याल्दे	50
3	गो वर्धन समिति, कोटेश्वर, टिहरी	200
4	चिटवाल विकास समिति, थलीसैंण, पौड़ी	300
5	गो–रक्षा केन्द्र, महंत गांव, अल्मोड़ा	300
6	पीपल फॉर एनिमल, अधोईवाला देहरादून	100
	योग	1000

(रू० दस लाख मात्र)

(1) उक्त धनराशि को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के नियम–249 के अन्तर्गत छूट प्रदान करते हुए अग्रिम के रूप में आहरित किये जाने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि धनराशि का व्यय सम्बन्धित संस्था द्वारा गौ सदन का निर्माण, भण्डारण कक्षों, परिसर दीवार, पेयजल व्यवस्था, पशु औषधि आदि की व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या–759/XV-1/1(3)/2008 दिनांक 16.12.2008 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशों का पालन अवश्य किया जाय।

(3) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा पर प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–5 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को प्रपत्र बी0 एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायी जाय।

(4) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रुप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्त हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों का पालन कर किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत–00–106–अन्य पशुधन विकास–07–गौसदनों की स्थापना–42–अन्य व्यय योजनान्तर्गत के सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–297(P)/XXVII–4/2009 दिनांक 26 मार्च, 2009 में जारी उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या– 489 (1)/XV–1/2009–तददिनांकित

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त महोदय को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चमोली/टिहरी/अल्मोड़ा/पौड़ी/देहरादून।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
10. वित्त, अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
11. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।